2-1

प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

शासनादेश संख्या 5966/111(2)/ 10–18 (प्रा.आ.)/ 2010 टी.सी. दिनांक 11.10.2010 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसोरा मोटर मार्ग से भदौरा बाजीरोड तक लिक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0, लागत रू0 37.80 लाख एवं जिला योजना 2010–11 के अन्तर्गत जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 929/ जि.यो./ 10–11 दिनांक 17.08.2010 द्वारा कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग के कि0मी0 5 कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि0मी0, लागत 1.00 लाख (प्रथम चरण के अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृति हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। (शासनादेशों की प्रमाणित् फोटो प्रतियां संलग्न है।)

जनपद बागेश्वर में कांडा–सानिउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग विभिन्न चरणों में भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृत होने के उपरान्त निर्मित हो चुका है एवं यातायात हेतु चालू है। कोटपातल बैन्ड इस मार्ग के कि0मी0 5 में पड़ता है। वर्तमान मोटर मार्ग को इसी बैन्ड से प्रस्तावित किया गया है और भदौरा होते हुए बाजीरोड तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 5 कि.मी. आती है। ग्राम भदौरा एवं तोक खड़खेत, बांजझिरौटी की आवादी 2001 की जनसंख्या के अनुसार 311 है और ये गांव अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। मार्ग के संरेखण में प्रथम 3 कि.मी. भाग में नाप व वनपंचायत के अतिरिक्त राज्य सरकार की सिविल सोयम भूमि प्रभावित होती है और अन्तिम 2 कि0मी0 में नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार डिजिटल एवं गुगल मैप में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर इन्डैक्स मानचित्र के साथ प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण कांडा सानिउडियार रावतसेरा मोटर मार्ग के कि.मी. 5 में कोटपातल बैन्ड से प्रस्तावित किया गया है। इसमें कि.मी. 3 तक नाप के अतिरिक्त सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि प्रभावित होती है और अंत के 2 कि.मी. में निजी नाप भूमि प्रभावित होती है। इसमें स्थल पर कम संख्या में चीड़ वृक्ष है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। मार्ग के लिए मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण उक्त मार्ग के कि.मी. 4 से प्रस्तावित किया गया है। इसमें कि.मी. 3 तक का सम्पूर्ण भाग वन पंचायत भूमि से होकर जायेगा जिसमें 2 बैन्ड आते है। इसमें वृक्ष अधिक प्रभावित होते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है। इसमें कुछ भाग कच्चे में भी जाता है जिससे मार्ग के असुरक्षित रहने की सम्भावना बनी रहेगी।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है।

जनपद के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित ग्राम भदौरा की जनता एवं राजकीय प्रतिष्ठानों तक यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। भारत सरकार के निर्देशानुसार मोटर मार्ग के निर्माण में हस्तान्तरण हेतु भूमि की चौड़ाई न्यूनतम आवश्यकतानुसार 7 मीटर प्रस्तावित करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी सूचनाऐं संलग्न की गयी हैं। अतः 5.00 कि.मी. लम्बाई एवं न्यूनतम 7 मीटर चौड़ाई में प्रभावित होने वाली 0.840 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 64 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर